प्रेस नोट **दिनांक 30.01.2026**

शराब ठेके पर उत्पात मचाने वाले दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में आज दिनांक 30.01.2026 को उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह के देखभाल व क्षेत्र में मामूर थे कि जनता की सूचना पर कि दो व्यक्ति शराब के नशे में मतलूपुर स्थित शराब ठेके पर आपस में वाद विवाद कर रहे है, इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहूंच कर देखा गया तो दो व्यक्ति आपस में शराब के नशे में वाद विवाद कर रहे थे, जिनको समझाने का काफी प्रयास किया गया लेकिन नही और अधिक उत्तेजित होकर आपस में ही मारपीट करने लगे की शान्ति व्यवस्था के दृष्टीगत दोनो पक्षो को अन्तर्गत धारा 170 बी0एन0एस0एस0 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. अजय कुमार सिंह पुत्र श्री अवधेश सिंह सा0 मुहल्ला राजपुताना महरनियां थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. विनय कुमार सिंह पुत्र रमेन्द्र कुमार सिंह सा0 मुहल्ला महरनिया दक्षिण टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. हे0का0 सुरजीत कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. का0 अरूण कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 30.01.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरियें मुखबिर की सूचना पर असना नहर की पुलिया से मु0अ0स0 545/25 धारा 316(2),319(2),318(4) बीएनएस से

संबंधित अभियुक्त मो0 नदीम पुत्र स्व0 हाजी अंसार निवासी बडागांव थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 545/25 धारा 316(2),319(2),318(4) बीएनएस

अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त मो0 नदीम पुत्र स्व0 हाजी अंसार निवासी बडागांव थाना घोसी जनपद मऊ

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 60,000/- रु0 कुल धनराशि (साठ हजार) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 60,000/- रु0 कुल धनराशि (साठ हजार) पीडित अमजद फारुकी पुत्र इकबाल फारुकी निवासी जमालपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 60,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 06 माह के साधारण कारावास की सजा व ₹ 5000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 30-01-2026 को मु0अ0सं0 1533/2010 धारा 353, 393, व 511 भादवि का थाना कोतवाली नगर मे दोषसिद्ध अभियुक्त रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी कैथोली थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं ₹ 5000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 आशीष कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 74,999/- रु0 कुल धनराशि (चौहत्तर हजार नौ सौ निन्यानवे) रुपये थाना चिरैयाकोट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 74,999, /- रु0 कुल धनराशि (साठ हजार) पीडित प्रवीण कुमार मौर्य पुत्र ओमप्रकाश मौर्य निवासी खुरधरपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 74,999 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना चिरैयाकोट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय महिला कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 30-01-2026 को मु0अ0सं0 478/2007 धारा 354 भा0द0वि0 थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त डॉ. स्वामीनाथ यादव पुत्र ब्रह्मदेव यादव निवासी समहरुआ थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा ।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय महिला कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 30-01-2026 को अ0सं0 2978/2008 धारा 452,354 ,504,506 भा0द0वि0 थाना दक्षिणटोला में दोषसिद्ध अभियुक्त आरोपी लोरिक पुत्र पारस निवासी हकीकत पूरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।